<u>2026 का विधेयक संख्यांक 147</u>

[दि बैंकर्स बुक्स ऐविडेन्स बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026

बैंककार बहियों के संबंध में साक्ष्य से संबंधित विधि और इसे समसामयिक डिजिटल बैंककारी व्यवहारों से संरेखित करने तथा इससे सहबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 2026 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "बैंक" और "बैंककार" से अभिप्रेत है,—

(i) बैंककारी करने वाली कोई कंपनी या निगम ;

(ii) वित्तीय सेक्टर में प्रचालित कोई इकाई या इकाईयों का वर्ग, जिसकी बहियों को इस अधिनियम के उपबंध विस्तारित किए जाएंगे, जैसा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है ;

(iii) कोई डाकखाना बचत बैंक या मनीआर्डर कार्यालय ;

(ख) "बैंककार बही" के अंतर्गत बही खाते, दैनिक बहियां, रोकड़ बहियां, लेखा बहियां और ऐसे सभी अन्य अभिलेख हैं, जो बैंक के मामूली कारबार के अनुक्रम में प्रयुक्त किए जाते हैं, चाहे वे अभिलेख लिखित रूप में रखे जाते हैं या भौतिक रूप में या डाटा भंडारण क्रियाविधि के किसी रूप में भंडारित किए जाते हैं, जैसे इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रूप या अन्यथा, या तो आनसाइट या किसी अन्य आफसाइट या वर्चुअल या क्लाउड अवस्थिति में भंडारित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कोई बैकअप या आपदा पुन:प्राप्ति साइट या दोनों हैं ;

(ग) "प्रमाणित प्रतिलिपि" से बैंककार की बही में अंतर्विष्ट किसी प्रविष्टि या जानकारी के संबंध में निम्नलिखित अभिप्रेत होगा, अर्थात् :—

(i) जब बैंककार की बही लिखित या भौतिक रूप में रखी जाती है, तो धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र के साथ ऐसी बहियों में किसी प्रविष्टि या जानकारी की एक प्रति ; और

(ii) जब बैंककार की बही डाटा भंडारण क्रियाविधि के किसी अन्य ढंग से रखी जाती है, जैसे इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रूप या अन्यथा, तो बैंककार की ऐसी बही में किसी प्रविष्टि या जानकारी की एक प्रति, जो कागज पर मुद्रित है, भंडारित है, अभिलिखित है या ऑप्टिकल अथवा मैग्नेटिक मीडिया या सेमीकंडक्टर मैमोरी में अभिलिखित या प्रतिलिपि है, या अन्यथा किसी इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रूप में भंडारित, अभिलिखित या प्रतिलिपि के रूप में है तो धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रमाणपत्र के साथ ;

(घ) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उक्त धारा के खंड (42) के अर्थांतर्गत विदेशी कंपनी भी है ; 2013 का 18

(ङ) "निगम" से भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक भी है ; 1970 का 5 1980 का 40

(च) "विधिक कार्यवाही" से अभिप्रेत है,—

(i) कोई ऐसी कार्यवाही या जांच, जिसमें साक्ष्य दिया जाता है या दिया जाए ;

(ii) कोई माध्यस्थम् ; और

(iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन या साक्ष्य के 2023 का 46

अंतरण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसा कोई अन्वेषण या जांच, जो किसी पुलिस अधिकारी द्‌वारा या मजिस्ट्रेट द्‌वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्‌वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्‌वारा (जो मजिस्ट्रेट नहीं है) की जाती है ;

(छ) "अधिसूचना" से भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है तथा "अधिसूचित करना" पद का अपने व्याकरणिक परिवर्तनों तथा सजातीय पदों के साथ तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ; और

(ज) "विचारण" से न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी सुनवाई अभिप्रेत है, जिसमें साक्ष्य लिया जाता है ।

1996 का 26
2000 का 21
2023 का 46
2023 का 47

(2) यह प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए किंतु माध्यस्थम्‌ और सुलह अधिनियम, 1996, सूचना प्रौद्‌योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में परिभाषित किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो उनका उक्त अधिनियमों में है ।

प्रमाणित प्रति के लिए शर्तें ।

3. (1) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) में यथानिर्दिष्ट लिखित या भौतिक रूप में रखी गई बैंककार की बहियों में किसी प्रविष्टि या ज़ानकारी की प्रत्येक प्रति के साथ निम्नलिखित कथन करते हुए एक प्रमाणपत्र होगा, अर्थात्‌ :—

(क) कि उक्त प्रति ऐसी प्रविष्टि या जानकारी की सत्य और सही प्रति है ;

(ख) कि ऐसी प्रविष्टि या जानकारी बैंक की एक साधारण बही में अंतर्विष्ट है और बैंक के सामान्य और मामूली कारबार के अनुक्रम में की गई थी ;

(ग) कि ऐसी बहियां अभी भी बैंक की अभिरक्षा में है किंतु जहां वह बही, जिससे ऐसी प्रति तैयार की गई थी, नष्ट हो गई थी, यह उस तारीख के पश्चात्‌, जिसको वह प्रति इस प्रकार तैयार की गई थी, बैंक के सामान्य कारबार के अनुक्रम में नष्ट हो गई थी ;

(घ) कि ऐसी प्रति स्वयं इसकी परिशुद्‌धता सुनिश्चित करती है, यदि वह प्रति यांत्रिक या अन्य प्रक्रिया द्‌वारा प्राप्त की गई थी ; और

(ङ) ऐसी अन्य शर्तें, जो केंद्रीय सरकार द्‌वारा,

पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे रूप में अधिसूचित की जाएं ।

(2) डाटा भंडारण क्रिया विधि के किसी ढंग से रखी गई बैंककार की बहियों की किसी प्रविष्टि या जानकारी की प्रत्येक प्रति, जैसे इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रूप में या अन्यथा, जैसा कि धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट है, निम्नलिखित का कथन करते हुए एक प्रमाणपत्र के साथ होगी, अर्थात्‌ :—

(क) बैंककार की बहियों से उक्त प्रति बनाने में अंतर्वलित किसी कंप्यूटर प्रणाली या यंत्र की विशिष्टियां, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों कि उक्त प्रति धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट कंप्यूटर प्रणाली या यंत्र द्‌वारा बनाई गई थी ; और

(ख) किसी ऐसे विषय को विनिर्दिष्ट करना, जिससे,

धारा 7 में उल्लिखित शर्तें दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे रूप में संबंधित हैं ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रमाणपत्र पर बैंक द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत शाखा प्रमुख या कार्यालय प्रमुख या बैंक के किसी अन्य अधिकारी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार या तो शारीरिक रूप से या डिजिटल अथवा इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के माध्यम से इसे जारी करने की तारीख, हस्ताक्षर या अधिप्रमाणन होगा : 2000 का 21

परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए संबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्रों में इसे कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास का कथन किसी विषय के लिए पर्याप्त होगा ।

अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करने की शक्ति ।

4. केंद्रीय सरकार यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों, अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, वित्तीय सेक्टर में किसी इकाई या इकाईयों के वर्ग की बहियों को इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने को विस्तारित कर सकेगी, और केंद्रीय सरकार समान रीति में ऐसी किसी अधिसूचना का विखंडन, परिवर्तन या उपांतरण कर सकेगी ।

बैंककारी बहियों में प्रविष्टियों के सबूत का ढंग ।

5. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, किसी बैंककार बही में भी किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि, सब विधिक कार्यवाहियों में, ऐसी प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ली जाएगी, और उसमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखाओं के साक्ष्य के रूप में हर मामले में वहां तक और उस विस्तार तक ग्रहण की जाएगी जहां तक और जिस तक स्वयं मूल प्रविष्टि अब विधि द्वारा ग्राह्य है किंतु उससे आगे या अन्यथा नहीं ।

इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेखों की ग्राह्यता ।

6. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, साक्ष्य में बैंककार की बही के इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख की ग्राह्यता इस आधार पर अस्वीकार नहीं की जाएगी कि यह इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख है और ऐसा अभिलेख धारा 7 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए अन्य साक्ष्य के समान ग्राह्य, विधिमान्य और विधिक रूप से प्रवर्तनीय होगा ।

इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रूप में रखे गए अभिलेखों की ग्राह्यता के लिए शर्तें ।

7. (1) इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रूप में रखी गई बैंककार की बही की जानकारी या अभिलेख के संबंध में, इसकी साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता, विधिमान्यता और प्रवर्तनीयता के लिए समाधान की जाने वाली शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(क) किसी कंप्यूटर प्रणाली या संसूचना यंत्र द्वारा प्रस्तुत की गई अभिलेख की प्रति उस अवधि के दौरान, जिसके दौरान ऐसी कंप्यूटर प्रणाली या संसूचना यंत्र, कंप्यूटर प्रणाली या संसूचना यंत्र के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए जाने वाले किसी क्रियाकलाप के प्रयोजनों के लिए नियमित रूप से बनाने, भंडारण करने या जानकारी प्रक्रियागत करने के लिए प्रयोग की जा रही थी ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, अभिलेख की उक्त प्रति में अंतर्विष्ट प्रकार की जानकारी, या उस प्रकार की जानकारी, जिससे इस प्रकार अंतर्विष्ट जानकारी व्युत्पन्न की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के मामूली अनुक्रम में कंप्यूटर प्रणाली या

संसूचना यंत्र में नियमित रूप से भरी जा रही थी ;

(ग) उक्त अवधि के संपूर्ण सारवान् भाग में कंप्यूटर प्रणाली या संसूचना यंत्र उचित रूप से प्रचालन में थी या, यदि नहीं तो ऐसी अवधि के संबंध में, जिसमें वह उचित रूप से प्रचालित नहीं हो रही थी या अवधि के उस भाग के दौरान प्रचालन से बाहर थी, ऐसी नहीं थी, जिससे उक्त अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तुओं की परिशुद्धता पर प्रभाव पड़े ;

(घ) अभिलेख की ऐसी प्रति में अंतर्विष्ट जानकारी उक्त क्रियाकलापों के मामूली अनुक्रम में कंप्यूटर प्रणाली या संसूचना यंत्र में भरी गई ऐसी जानकारी से उत्पन्न या व्युत्पन्न थी ;

(ङ) उक्त प्रति ऐसी प्रविष्टि या जानकारी की सत्य प्रति है और सभी सुसंगत अभिलेखों से तैयार की गई थी तथा ऐसे अभिलेखों को सही रूप में प्रस्तुत करती है या उनसे समुचित रूप से व्युत्पन्न है ;

(च) पर्याप्त रक्षोपाय करने के पश्चात् केवल प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा डाटा प्रविष्टि या कोई अन्य प्रचालन किया गया था तथा सुसंगत समय के दौरान डाटा का कोई अप्राधिकृत परिवर्तन या बदलाव नहीं देखा गया या पकड़ा गया ;

(छ) कंप्यूटर प्रणाली या संसूचना यंत्र से पहचान योग्य, हटाने योग्य मीडिया में ऐसी प्रविष्टि या जानकारी से संबंधित डाटा को परिशुद्धता से अंतरण करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए गए, जिसके अंतर्गत किंतु इस तक सीमित नहीं किसी इलैक्ट्रानिक या डिजिटल रूप में ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया, सेमीकंडक्टर मैमोरी, डिस्क या अन्यथा भी हैं, और ऐसे हटाने योग्य यंत्र के सुरक्षित भंडारण और अभिरक्षा के लिए सभी कदम उठाए गए थे ;

(ज) प्रणाली के साथ कोई छेड़छाड़ या अन्य घटना, जो प्रणाली की अक्षतता और परिशुद्धता स्थापित करने के लिए आवश्यक हों, नहीं देखी गई या पकड़ी गई ;

(झ) नेटवर्क, यंत्र और उसमें अंतर्विष्ट डाटा सुरक्षित था तथा साइबर जोखिमों या खतरों की चुनौती से निपटने के लिए सुसज्जित था ; और

(ञ) ऐसी अन्य शर्तें, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ।

(2) जहां किसी अवधि के दौरान, उपधारा (1) के खंड (क) में यथाउल्लिखित उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए जाने वाले किसी क्रियाकलाप के प्रयोजनों के लिए प्रविष्टि या जानकारी सृजित करने, भंडारण करने या प्रक्रियागत करने को एक या अधिक कंप्यूटर प्रणालियों या संसूचना यंत्रों के माध्यम से किया गया था, चाहे—

(क) स्टैंडअलोन ढंग से हो ; या

(ख) कंप्यूटर प्रणाली पर हो ; या

(ग) कंप्यूटर नेटवर्क पर हो ; या

(घ) जानकारी के सृजन को समर्थ करने वाले या जानकारी को प्रक्रियागत और भंडारण करने का उपबंध करने वाले कंप्यूटर संसाधन पर हो ; या

(ङ) किसी मध्यवर्ती के माध्यम से हो,

उस अवधि के दौरान, उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त ऐसी सभी कंप्यूटर प्रणाली या संसूचना यंत्र इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कंप्यूटर प्रणाली या संसूचना यंत्र का गठन करने वाली मानी जाएंगी तथा इस अधिनियम में किसी कंप्यूटर प्रणाली या संसूचना यंत्र के निर्देश का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

मामला, जिसमें बैंक का अधिकारी बहियों को प्रस्तुत करने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा ।

8. (1) किसी बैंक का कोई अधिकारी, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें वह बैंक पक्षकार न हो, किसी बैंककार बही को, जिसकी अंतर्वस्तुएं इस अधिनियम के अधीन साबित की जा सकती हैं, पेश करने के लिए या उसमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखाओं को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय या न्यायाधीश विशेष कारण के लिए आदेश न करे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "विशेष कारण" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(क) जहां बैंककार की बही में कोई प्रविष्टि या जानकारी की परिशुद्धता या वास्तविकता संदेहपूर्ण है ; या

(ख) जहां कोई घटना घटित हुई है, जो यह इंगित करती है कि बैंक में रखे गए अभिलेख की नियमितता या साधारण प्रकृति में व्यवधान हुआ है ; या

(ग) जहां बैंक धारा 9 के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन नहीं करता है ।

न्यायालय के आदेश द्वारा बहियों का निरीक्षण ।

9. (1) किसी विधिक कार्यवाही में किसी पक्षकार के आवेदन पर न्यायालय आदेश दे सकेगा कि ऐसा पक्षकार ऐसी कार्यवाही के प्रयोजनों में से किसी के लिए बैंककार बही की किन्हीं प्रविष्टियों का निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियां लेने के लिए स्वतंत्र होगा अथवा उस बैंक को आदेश दे सकेगा कि वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट समय के अंदर ऐसी सब प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां से अतिरिक्त प्रमाणपत्र के सहित तैयार करे और पेश करे कि ऐसी कार्यवाही में विवाद्य विषयों से सुसंगत कोई अन्य प्रविष्टियां उस बैंक की बहियों में नहीं है, और ऐसा अतिरिक्त प्रमाणपत्र धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति में दिनांकित और हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(2) इस या पूर्वगामी धारा के अधीन आदेश, बैंक को समन करके या समन किए बिना किया जा सकेगा और बैंक पर उसकी तामील उससे (बैंक अवकाश दिनों का अपवर्जन करके) तीन पूर्ण दिन पहले की जाएगी जब उसका पालन किया जाना है जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे ।

(3) उपधारा (2) में किसी आदेश के पालन के लिए उपबंधित अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय बैंक या विचारण पर अपनी बहियां प्रस्तुत करने की प्रस्थापना कर सकेगा या ऐसे आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगा और तदुपरि वह अतिरिक्त आदेश करने के पूर्व सुनवाई के बिना प्रवर्तित नहीं किया जाएगा ।

खर्चे।

10. (1) इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजनों के लिए न्यायालय में किसी आवेदन के खर्चे और इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजनों के लिए न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अधीन की गई या की जाने वाली किसी बात के खर्चों का न्यायालय का विवेकाधिकार होगा, जो ऐसे खर्चों या उनके किसी भाग का पक्षकार द्वारा बैंक को या बैंक द्वारा किसी ऐसे पक्षकार को संदाय करने का अतिरिक्त आदेश दे सकेगा, जहां ऐसे पक्षकार ने बैंक की ओर से किसी त्रुटि या अनुचित देरी के परिणामस्वरूप व्यय किया हो ।

(2) इस धारा के अधीन किसी बैंक को या उसके द्वारा खर्चे के संदाय के लिए किया गया कोई आदेश इस प्रकार प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो वह बैंक कार्यवाही में पक्षकार हो।

(3) इस धारा के अधीन खर्चा दिलाने वाला कोई आदेश, आदेश में पदाभिहित किसी सिविल न्यायालय में आवेदन करने पर, ऐसे न्यायालय द्वारा इस प्रकार निष्पादित किया जाएगा मानो वह आदेश स्वयं उसके द्वारा पारित धन के लिए डिक्री हो।

(4) उपधारा (3) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी शक्ति का अल्पीकरण करती है, जो उस आदेश को करने वाले न्यायालय को खर्चों के संदाय के संबंध में अपने निदेशों के प्रवर्तन के लिए प्राप्त हो।

न्यायालय के आदेश का अर्थ विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के रूप में लगाया जाना।

11. (1) जहाँ धारा 8, धारा 9 या धारा 10 के उपबंध धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी अन्वेषण या जांच के संचालन के लिए लागू होते हैं, वहाँ उक्त धाराओं में निर्दिष्ट किसी न्यायालय के आदेश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसी पंक्ति के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है और जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, किए गए किसी आदेश के प्रति निर्देश करता है।

(2) उपधारा (1) में "समुचित सरकार" से ऐसी सरकार अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्वेषण या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति नियोजित किया जाता है ।

केन्द्रीय सरकार की अनुसूचियों में संशोधन करने की शक्ति।

12. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्रों, जो आवश्यक हो, को उपांतरित कर सकेगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

13. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

14. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख

से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संसद् के समक्ष रखा जाना।

15. इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

निरसन और व्यावृत्ति।

16. (1) बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 1891 का 18

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमिति के निरसन के होते हुए भी, ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियमिति का पूर्व प्रचालन और तद्धीन किए गए आदेश या कोई बात; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियमिति के अधीन अर्जित, उदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, ज़ब्ती या दंड की बाबत कोई अन्वेषण, जांच,विधिक कार्रवाई या उपचार; या

(घ) बैंककार बही में किसी प्रविष्टि या जानकारी की बाबत किसी प्रमाणपत्र का पूर्व प्रचालन,जारी की गई, संशोधित, निरसित, अधिक्रांत, विखंडित अधिसूचना आदेश या इस प्रकार निरसित अधिनियमिति अधीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई कोई बात; या

(ङ) इस अधिनियम के प्रारभ होने की तारीख से पहले, उस तारीख को या उसके पश्चात् निरसित अधिनियमिति के अधीन संस्थित कोई कार्यवाही, जिसके अंतर्गत अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश से संबंधित कार्यवाही भी है, और ऐसी कार्यवाही उक्त अधिनियमिति के अधीन ऐसे जारी रखी जाएगी मानो की यह अधिनियम प्रवृत्त ही नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियमिति निरसित नहीं की गई हो; या

(च) किसी अन्य विधान, नियम, आदेश या किसी अन्य विधिक लिखत में निरसित अधिनियम के प्रति किए गए निर्देश को या कोई अन्य विधिक लिखत, कोई ऐसा निर्देश जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, का अर्थान्वयन इस अधिनियम या उसके तत्स्थानी उपबंधों के प्रति किया जाएगा; या

(छ) किसी ऐसी बात को पुनर्जीवित करना जो ऐसे निरसन के समय प्रवृत्त या विद्यमान न हो।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध निरसन के प्रभाव के संबंध में लागू होंगे। 1897 का 10

पहली अनुसूची

[धारा 3(1) देखिए]

प्रमाणपत्र

(शाखा प्रमुख या कार्यालय प्रमुख या बैंक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत बैंक के किसी अन्य अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

मैं, (नाम),..पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी........................जो शाखा/कार्यालय का पता).. में निवास करता हूँ/करती हूँ/नियोजित हूँ, सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि करता हूँ/करती हूँ और अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर निम्नलिखित कथन प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ:—

(क) कि प्रविष्टि या सूचना की प्रतिलिपि ऐसी प्रविष्टि या सूचना की सत्य और सही प्रतिलिपि है;

(ख) ऐसी प्रविष्टि या सूचना बैंक की सामान्य बही में से किसी एक में अंतर्विष्ट है और बैंक के कारबार के प्रायिक और मामूली अनुक्रम के दौरान की गई है;

(ग) कि ऐसी बही अभी भी बैंक की अभिरक्षा में हैं, किंतु जहाँ वह बही जिससे ऐसी प्रतिलिपि तैयार की गई थी, नष्ट कर दी गई थी, तो उसे प्रतिलिपि तैयार करने की तारीख के पश्चात् बैंक के कारबार के प्रायिक अनुक्रम के दौरान नष्ट कर दिया गया था; और

(घ) यदि ऐसी प्रतिलिपि यांत्रिक या अन्य प्रक्रिया से प्राप्त की गई हो तो ऐसी प्रतिलिपि स्वयं ही उसकी सटीकता सुनिश्चित करती है।

तारीख (दिन/मास/वर्ष):

स्थान :

(पूरा नाम और हस्ताक्षर)

शासकीय पदनाम

दूसरी अनुसूची

[धारा 3(2) देखिए]

प्रमाणपत्र

(शाखा प्रमुख या कार्यालय प्रमुख या बैंक द्वारा इस निमित प्राधिकृत बैंक के किसी अन्य अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

मैं, (नाम),..पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी....................जो शाखा/कार्यालय का पता)....................................... में निवास करता हूँ/करती हूँ/नियोजित हूँ, सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि करता हूँ/करती हूँ और अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर निम्नलिखित कथन प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ:—

(क) प्रविष्टि या सूचना की प्रतिलिपि कंप्यूटर सिस्टम या संचार उपकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सिस्टम" कहा गया है) से प्रस्तुत की जाती है, जिसका वर्णन किया जा रहा है.................................. (सिस्टम की संक्षिप्त विशिष्टियां उपबंधित की जाए (धारा 3 (2) (क) देखिए;

(ख) अभिलेख की उक्त प्रतिलिपि प्रणाली द्वारा उस अवधि के दौरान तैयार की गई थी, जिसके दौरान उक्त प्रणाली का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए जाने वाले किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सूचना तैयार, संग्रहीत करने या सृजित करने के लिए किया गया था, जिसका इसके उपयोग पर विधिमान्य नियंत्रण था;

(ग) उक्त अवधि के दौरान, अभिलेख की ऐसी उक्त प्रतिलिपि में अंतर्विष्ट प्रकार की सूचना या जिस प्रकार की सूचना से वह सूचना प्राप्त हुई है, उक्त क्रियाकलापों के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से सिस्टम में डाली गई थी;

(घ) उक्त अवधि के संपूर्ण भौतिक भाग के दौरान, प्रणाली उचित ढंग से कार्य कर रही थी या यदि नहीं, तो किसी अवधि के संबंध में जिसमें वह उचित ढंग से कार्य नहीं कर रही थी या अवधि के उस भाग के दौरान प्रचालन से बाहर थी, ऐसी नहीं थी कि अभिलेख या उसकी विषय-वस्तु की सटीकता प्रभावित हो;

(ङ) अभिलेख की ऐसी प्रतिलिपि में अंतर्विष्ट सूचना उक्त क्रियाकलापों के मामूली अनुक्रम में सिस्टम में डाली गई ऐसी सूचना से पुन:प्रस्तुत प्रतिलिपि है या उससे प्राप्त होती है;

(च) उक्त प्रतिलिपि ऐसी प्रविष्टि या सूचना की सत्य प्रतिलिपि है और सभी सुसंगत अभिलेखों से तैयार की गई है, और ऐसे अभिलेख को सही ढंग से दर्शाती है या उपयुक्त रूप से उससे ली गई है;

(छ) डाटा प्रविष्टि या कोई अन्य प्रचालन केवल प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया गया था और सुसंगत समय के दौरान डाटा में कोई अनधिकृत फेरफार या परिवर्तन नहीं देखा या पता चला है;

(ज) ऐसी प्रविष्टि या सूचना से संबंधित डाटा को कंप्यूटर सिस्टम या संचार

उपकरण से सटीक रूप से किसी पहचान योग्य हटाने योग्य मीडिया में अंतरित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए थे, जिसके अंतर्गत ऑप्टिकल या चुंबकीय मीडिया, अर्धचालक मेमोरी, डिस्क या अन्यथा, किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में भी है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, और ऐसे हटाने योग्य उपकरण के सुरक्षित भंडारण और अभिरक्षा के लिए सभी कदम उठाए गए थे;

(झ) सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ या कोई दूसरी घटना नहीं देखी गई या पता नहीं चली, जिससे सिस्टम की समग्रता और सटीकता प्रमाणित हो सके; और

(ञ) नेटवर्क, डिवाइस और उसमें विद्‌दमान डाटा सुरक्षित हैं और साइबर जोखिम या खतरों की चुनौती का सामना करने के लिए सुसज्जित हैं।

तारीख (दिन/मास/वर्ष): (पूरा नाम और हस्ताक्षर)

स्थान : आधिकारिक पदनाम

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 को विधिक कार्यवाहियों में मूल अभिलेख प्रस्तुत किए बिना बैंक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने को सुकर बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम उस समय अधिनियमित किया गया था जब बैंककारी अभिलेख मुख्य रूप से भौतिक रूप में रखे जाते थे। प्रौद्योगिकी की प्रगति और डिजिटल बैंकिंग के विकास के साथ, बैंक अभिलेख तेजी से आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाए, संग्रहीत और संरक्षित किए जा रहे हैं। इसलिए, वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विद्यमान विधिक ढांचे का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना आवश्यक हो गया है ।

2. तदनुसार, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 का निरसन करने और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपबंध हैं :—

(क) बैंकों द्वारा रखे गए सभी प्रकार के अभिलेखों को सम्मिलित करने के लिए "बैंककार बही" की परिभाषा के दायरे का विस्तार करना, चाहे वे भौतिक, इलेक्ट्रानिक, डिजिटल, वर्चुअल, क्लाउड-आधारित या किसी अन्य रूप में हों, जिससे एक व्यापक, प्रौद्योगिकी-तटस्थ और भविष्य के लिए तैयार विधिक ढांचा प्रदान किया जा सके ;

(ख) मानकीकृत प्रमाणपत्र प्रारूपों और मैनुअल या डिजिटल या इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणीकरण का उपबंध करना ;

(ग) इलेक्ट्रानिक बैंक अभिलेखों की स्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता देना और उन्हें भौतिक या इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देना ;

(घ) केंद्रीय सरकार को कुछ शर्तों के अधीन वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत किसी भी इकाई या इकाईयों के वर्ग पर प्रस्तावित विधान की प्रयोज्यता बढ़ाने के लिए सशक्त करना ; और

(ङ) "विशेष कारण" पद को परिभाषित करना, जिसके लिए न्यायालय लिखित आदेश द्वारा बैंक के किसी अधिकारी को किसी भी बैंककार की बहियों को प्रस्तुत करने या किसी भी विधिक कार्यवाही में मामलों, संव्यवहार या खातों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकेगा, जहां बैंक एक पक्षकार नहीं है ।

3. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
28 जुलाई 2026

निर्मला सीतारामण

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंधों में भारत की संचित निधि में से आवर्ती और अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोपित विधान के बारे में ज्ञापन

इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

2. वे विषय जिसकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, वे प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय है और अतः प्रस्तावित विधेयक में उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।